अनुक्रमणिका

	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
I.	सामान्य	1
II.	फायदे	2
III.	सेवाएँ	3
IV.	खाता खोलना	4
V.	नामांकन (नॉमिनेशन)	12
VI.	प्रेषण (ट्रांसमिशन)	13
VII.	गैर-कागजी रूप (डिमैटीरियलाइजेशन)	15
VIII.	सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्योरिटीज) तथा ऋण लिखतें (डैट इन्स्ट्रूमेण्ट्स)	17
IX.	फिर से कागजी रूप देना (रिमैटीरियलाइजेशन)	17
X.	सौदा / निपटान (ट्रेडिंग / सेटलमेंट)	18
XI.	स्पीड-ई सुविधा	23
XII.	कंपनी (कॉर्पोरेट) फायदे	26
XIII.	गिरवी रखना (प्लेजिंग)	27
XIV.	प्रतिभूतियाँ (सिक्योरिटीज) उधार देना एवं लेना	28
XV.	प्रभार (शुल्क)	29
XVI.	अंतर-निक्षेपागार अंतरण (इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर)	31
XVII.	सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ	31
	बैंक संबंधी ब्यौरों में परिवर्तन हेतु फॉर्म	36
	पते में परिवर्तन हेतु फॉर्म	38
	नामांकन हेतु फॉर्म	40
	लेन-देन विवरण हेतु फॉर्म	43

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के शेयरधारक हैं - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, डॉइश बैंक, देना बैंक, केनरा बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक एनए और हाँग-काँग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनएसडीएल के सभी शेयरधारक एनएसडीएल की निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सुविधाओं के प्रयोक्ता (यूज़र) हैं ।

एनएसडीएल ने अपना कामकाज नवम्बर 1996 में प्रारंभ किया । इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) को रखने एवं उनमें लेन-देन करने से वे सभी समस्याएँ दूर हो जाती हैं, जो कि आम तौर पर काग़ज़ी प्रमाणपत्रों (सर्टिफिकेट) से जुड़ी होती हैं जैसे कि कट-फट जाना, रास्ते में खो जाना, बुरी [दोषपूर्ण] सुपुर्दगी (बैड डिलीवरी) । यही नहीं, बल्कि इससे निपटान-चक्र (सेटलमेंट साइकल) भी शीघ्र पूरे हो जाते हैं । एनएसडीएल की निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली के प्रयोक्ताओं (यूज़र) की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है । हमारी कोशिश है कि एनएसडीएल की निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली के समस्त मौजूदा एवं भावी प्रयोक्ता - एनएसडीएल की निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली के प्रयोग से होने वाली सुविधाओं, होने वाले फायदों और इस प्रणाली के प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियों से परिचित हो जायें । "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों" से समाविष्ट यह पुस्तिका इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है ।

I. सामान्य

1. निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) किसे कहते हैं ?

उत्तर निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) की तुलना एक बैंक से की जा सकती है । निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) निवेशकों की प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, यूनिटें इत्यादि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है । यही नहीं, बल्कि निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से जुड़ी सेवाएँ भी प्रदान करता है ।

2. मैं निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) की सेवाओं का लाभ कैसे लूँ ?

उत्तर निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) अपने एजेंटों (जिन्हें निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के नाम से जाना जाता है) के माध्यम से निवेशकों के साथ संबंध

कायम रखता है । यदि कोई निवेशक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) की सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खाता खोलना होगा । यह ठीक वैसे ही है, जैसे बैंक की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक की किसी शाखा में खाता खोलना । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का चयन कैसे करें, इसके सुझाव खंड IV में दिये गये हैं ।

II. फायदे

1. निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में सहभागी बनने से क्या फायदे होते हैं ?

उत्तर निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में सहभागी बनने से निम्नलिखित फायदे होते हैं :

1. प्रतिभूतियों का तुरंत अंतरण (ट्रांसफर) ;
2. प्रतिभूतियों के अंतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) नहीं ;
3. काग़ज़ी प्रमाणपत्रों (सर्टिफिकेट) से जुड़े जोखिमों (जैसे बुरी [दोषपूर्ण] सुपुर्दगी, नकली प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) की समाप्ति ;
4. प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु कम काग़ज़ी कार्रवाई ;
5. लेन-देन के खर्च में कमी ;
6. नामांकन की सुविधा ;
7. पते में हुआ परिवर्तन निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के रिकॉर्ड में दर्ज होते ही, उन सभी कंपनियों के रिकॉर्ड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज हो जाता है जिन कंपनियों में निवेशक प्रतिभूति-धारक है और इस प्रकार ऐसी किसी भी कंपनी को अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ;
8. प्रतिभूतियों का प्रेषण (ट्रांसमिशन) भी निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा किया जाता है और इसके लिए भी कंपनियों को लिखने की आवश्यकता नहीं रह गयी ;
9. फोलियो / खातों के समेकन (कन्सॉलिडेशन) की सुविधाजनक पद्धति ;
10. इक्विटी, ऋण लिखतों (डैट इन्स्ट्रूमेण्ट्स) और सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेश को एक ही खाते में रखना ;
11. विभाजन (स्पिलट) / समेकन / विलयन (मर्जर) आदि होने पर - शेयरों का अपने-आप ही डीमैट खाते में जमा हो जाना ।

III. सेवाएँ

1. एनएसडीएल क्या सुविधाएँ देता है ?

उत्तर एनएसडीएल निम्नलिखित सुविधाएँ देता है :

1. गैर-कागजी रूप (डिमैटीरियलाइजेशन), अर्थात् कागजी प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप देना ;
2. फिर से कागजी रूप देना (रिमैटीरियलाइजेशन), अर्थात् गैर-कागजी रूप वाली प्रतिभूतियों को फिर से कागजी रूप देना ;
3. पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंडों) के यूनिटों की पुनःखरीद / मोचन (रिडेम्पशन) में आसानी ;
4. एनएसडीएल से जुड़े स्टॉक एक्सचेंजों में सौदों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में निपटान (सेटलमेंट) ;
5. ऋण लेने के लिए गैर-कागजी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना / बंधक रखना ;
6. सार्वजनिक निर्गमों (पब्लिक इश्यू), साधिकार निर्गमों (राइट्स इश्यू) में आबंटित प्रतिभूतियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा हो जाना ;
7. गैर-नकदी कंपनी (कॉर्पोरेट) फायदों, जैसे बोनस, को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करना ;
8. डीमैट खातों पर रोक लगाना (फ्रीजिंग), ताकि खाते में से नामे डाले जाने (डेबिट) की अनुमति न हो ;
9. डीमैट खातों हेतु नामांकन की सुविधा ;
10. पते के परिवर्तन, बैंक खातों के ब्यौरों में परिवर्तन, नामित-व्यक्ति (नॉमिनी) में परिवर्तन से संबंधित सेवाएँ ;
11. प्रतिभूतियों का प्रेषण (ट्रांसमिशन) कराना ;
12. इंटरनेट पर स्पीड-ई सुविधा के माध्यम से अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को अनुदेश देना (इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कृपया आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से पूछताछ कर लें) ;
13. अन्य सुविधाएँ जैसे कि ऋण लिखतों (डैट इन्स्ट्रूमेण्ट्स) को उसी खाते में रखना, स्टॉक उधार देने/लेने की सुविधा का लाभ उठाना, इत्यादि ।

IV. खाता खोलना

1. आपने कहा कि यदि मुझे निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में सहभागी होना है, तो मुझे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खाता खोलना होगा । यह निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] कौन होता है ?

उत्तर एनएसडीएल अपने एजेंटों (जिन्हें निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के नाम से जाना जाता है) के माध्यम से निवेशकों को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है । एनएसडीएल सेबी की मंजूरी लेकर इन एजेंटों की नियुक्ति करता है । सेबी के विनियमों के अनुसार, तीन श्रेणियों की संस्थाएँ, अर्थात् बैंक, वित्तीय संस्थाएँ एवं स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्य (दलाल), जो सेबी में रजिस्ट्रीकृत हों, भी निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] बन सकते हैं । आप एनएसडीएल के कार्यालय से या हमारे बेबसाइट www.nsdl.co.in से निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की सूची प्राप्त कर सकते हैं ।

2. मैं निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का चयन कैसे करूँ ?

उत्तर आप डीमैट खाता खोलने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का चयन ठीक वैसे ही करें, जैसे आप बचत खाता खोलने के लिए किसी बैंक का चयन करते हैं । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का चयन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे कि -

क) सुविधा - आपके कार्यालय / निवास-स्थान से निकटता, उनका कार्य-समय ।

ख) संतुष्टि - निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की प्रतिष्ठा, संस्था के साथ पिछला संबंध, क्या अमुक निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आपकी आवश्यकतानुसार आपको विशिष्ट सेवा प्रदान करने में समर्थ है ?

ग) खर्च - निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा लिया जाने वाला सेवा-शुल्क और सेवा के स्तर ।

यदि आप निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के ठिकानों की पूरी सूची और उनकी तुलनात्मक शुल्क सूची प्राप्त करना चाहते हैं, तो

कृपया हमारे वेबसाइट www.nsdl.co.in से संपर्क जोड़ें या फिर आप इस सिलसिले में एनएसडीएल को लिख सकते हैं ।

3. क्या सभी निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] एक से हैं ?

उत्तर सभी निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की नियुक्ति - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड[सेबी] (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 की एकसमान अपेक्षाओं और एनएसडीएल की अपेक्षाओं को पूरा किये जाने पर ही की जाती है । हालाँकि, विभिन्न निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में, उनकी सेवाओं के स्तरों में भिन्नता हो सकती है । उदाहरण के तौर पर, निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की वह शाखा अनुदेशों (इन्स्ट्रक्शन) को शीघ्र अंजाम दे सकती है, जो डिपॉजिटरी-ढाँचे से युक्त मुख्य-कार्यालय से सीधी जुड़ी हो ।

4. यदि मुझे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खाता खोलना हो, तो मैं क्या करूँ?

उत्तर आप अपनी पसंद के किसी भी निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से संपर्क कर सकते हैं और खाता खोलने के लिए फॉर्म भर सकते हैं । आपको खाता खोलने के समय निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के साथ एक करारनामे *(एनएसडीएल द्वारा निर्धारित)* पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके अंतर्गत आपके और आपके निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख होता है । सभी निवेशकों को खाता खोलने हेतु निर्धारित फॉर्म के साथ निम्नानुसार पहचान एवं पते का सबूत (फोटोकॉपी सहित) प्रस्तुत करना होगा :

I. पहचान का सबूत :

➢ *पासपोर्ट*	➢ *मतदाता पहचान-पत्र*
➢ *चालक लाइसेंस*	➢ *फोटो वाला पी.ए.एन. कार्ड*
➢ *मापिन कार्ड*	
➢ *निम्नलिखित द्वारा जारी पहचान-पत्र / दस्तावेज :* *(जिस पर आवेदक की फोटो भी लगी हो)*	
• केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार और इसके विभागों	• संवैधानिक / रेगुलेटरी प्राधिकरणों

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.)	• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
• सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं	• विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज (जब तक आवेदक एक विद्यार्थी हो)
• व्यावसायिक निकायों जैसे आई.सी.ए.आई., आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई., आई.सी.एस.आई., बार काउंसिल आदि (उनके सदस्यों के लिए)	• बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड

II. पते का सबूत :

➢ *राशन कार्ड*	➢ *पासपोर्ट*
➢ *मतदाता पहचान-पत्र*	➢ *चालक लाइसेंस*
➢ *बैंक की पासबुक*	
➢ *बिजली के बिलों (जो दो महीनों से अधिक पुराने न हों) / जहाँ रहते हों वहाँ के टेलीफोन बिलों (जो दो महीनों से अधिक पुराने न हों) / लीव-लाइसेंस एग्रीमेंट / सेल-एग्रीमेंट की सत्यापित प्रतियाँ*	
➢ *उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दी गई स्व-घोषणा, जिसमें उनके अपने खातों के नये पते का उल्लेख हो*	
➢ *निम्नलिखित द्वारा जारी पहचान-पत्र / दस्तावेज :* *(जिस पर पता दिया गया हो)*	
• केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार और इसके विभागों	• संवैधानिक / रेगुलेटरी प्राधिकरणों
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.)	• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
• सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं	• विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज (जब तक आवेदक एक विद्यार्थी हो)

• व्यावसायिक निकायों जैसे आई.सी.ए.आई., आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई., बार काउंसिल आदि (उनके सदस्यों के लिए)	

III. पासपोर्ट आकार की फोटो ।

संयुक्त होल्डिंग्स के मामले में, पहचान एवं पते के सूबतों संबंधी दस्तावेज सभी खाता-धारकों के संबंध में जमा किये जाने जरूरी हैं ।

आप निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज ले जाना न भूलें । आप भावी संदर्भ के लिए करारनामे (एग्रीमेंट) की प्रति और शुल्क-सूची प्राप्त करना भी न भूलें ।

5. क्या मैं एक ही निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास एक से अधिक खाते खोल सकता हूँ ?

उत्तर हाँ, आप एक ही निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास एक से अधिक खाते खोल सकते हैं । यही नहीं, बल्कि आप निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास कितने भी खाते खोल सकते हैं ।

6. क्या मैं केवल एक ही निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खाता खोल सकता हूँ ?

उत्तर नहीं, आप कितने भी निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खाते खोल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप कितने भी बैंकों में बचत खाते या चालू खाते खोल सकते हैं ।

7. क्या मुझे अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास अपने खाते में कुछ न्यूनतम प्रतिभूतियाँ रखनी होंगी ?

उत्तर नहीं, निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) द्वारा ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है ।

8. क्या मैं भिन्न-भिन्न स्वामित्व-स्वरूप वाली प्रतिभूतियों (जैसे - स्वयं के नाम वाली प्रतिभूतियों और अपनी पत्नी के साथ संयुक्त नाम वाली प्रतिभूतियों) के लिए एक ही खाता खोल सकता हूं ?

उत्तर नहीं । डीमैट खाता उसी स्वामित्व-स्वरूप में ही खोला जाना चाहिए, जो स्वामित्व-स्वरूप कागजी प्रतिभूतियों पर उल्लिखित हो । उदाहरण के तौर पर, यदि एक शेयर प्रमाणपत्र आपके स्वयं के नाम में है और दूसरा प्रमाणपत्र आपके तथा आपकी पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में है, तो ऐसे में दो अलग-अलग खाते खोले जायेंगे ।

9. यदि मेरे पास ऐसे कागजी प्रमाणपत्र हों जिन पर नाम तो वही हों किन्तु इन नामों का क्रम भिन्न हो (अर्थात् कुछ प्रमाणपत्रों पर पति प्रथम-धारक एवं पत्नी द्वितीय-धारक के तौर पर उल्लिखित हो तो वहीं दूसरे प्रमाणपत्रों पर पत्नी प्रथम-धारक एवं पति द्वितीय-धारक के तौर पर उल्लिखित हो), तो ऐसे में मैं क्या करूँ ?

उत्तर कंपनी अधिनियम, 1956 शेयरों को संयुक्त नाम में धारण करने की अनुमति देता है । जब शेयर कागजी रूप में जारी किये जाते हैं, तो सभी संयुक्त-धारकों के नाम शेयर प्रमाणपत्रों पर छपे होते हैं । सभी संयुक्त-धारकों को कंपनी का सदस्य माना जाता है । हालाँकि, लाभाँश का भुगतान करने तथा दस्तावेजों / पत्रादि / सूचनाओं को भेजने के सिलसिले में कंपनी उसी सदस्य के साथ व्यवहार करती है, जिसका नाम संयुक्त-धारकों में सबसे पहले उल्लिखित हो । संयुक्त-धारकों को यह हक है कि वे कंपनी से लिखित अनुरोध करके नामों के क्रम में परिवर्तन करा लें । ऐसा करना अंतरण (ट्रांसफर) नहीं माना जाता है । ऐसे परिवर्तन को "क्रम-परिवर्तन" (ट्रांसपोजीशन) कहा जाता है । हालाँकि, क्रम-परिवर्तन का लाभ किसी फोलियो में संपूर्ण धारिता (होल्डिंग) के लिए उठाना होता है, और जिसकी अनुमति आंशिक धारिता (होल्डिंग) के लिए नहीं है ।

यदि एक जैसे नामों वाले संयुक्त-धारकों के पास भिन्न-भिन्न नामों के क्रम में प्रतिभूतियाँ थीं, तो इन संयुक्त-धारकों से पहले यह अपेक्षित था कि वे एनएसडीएल की निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली में भिन्न-भिन्न निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते खोलें । एनएसडीएल ने संयुक्त-धारकों की मदद करने के लिए "क्रम-परिवर्तन सह डीमैट सुविधा" की शुरुआत की है, ताकि एक ही खाते में प्रतिभूतियों को गैर-कागजी रूप दिया जा सके फिर भले ही शेयर प्रमाणपत्रों में नामों का क्रम भिन्न-भिन्न क्यों न हो । इस प्रयोजन के लिए, गैर-कागजी रूप हेतु अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) तथा एक और फॉर्म जिसे क्रम-परिवर्तन (ट्रांसपोजीशन) फॉर्म (एनएसडीएल के कारोबार-नियमों का

संलग्नक ओए) कहा जाता है - निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास जमा किये जाने होंगे ।

10. क्या कोई अन्य व्यक्ति मेरी ओर से, मुख्तारनामे (पॉवर ऑफ अटर्नी) के आधार पर, मेरा खाता चला सकता है ?

उत्तर हाँ, यदि आप किसी व्यक्ति को, मुख्तारनामे के आधार पर, अपना खाता चलाने के लिए प्राधिकृत करते हैं, और इसे अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास प्रस्तुत कर देते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी ओर से आपका खाता चला सकता है । निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते को दोनों, अर्थात् खाता-धारक और मुख्तारनामा-धारक, चला सकते हैं ।

11. खाता खोलते समय मुझे अपने बैंक खाते के ब्यौरे क्यों देने हैं ?

उत्तर यह आपके हित-संरक्षण के लिए है । आपके बैंक खाते की संख्या का उल्लेख ब्याज या लाभाँश वारंट (जिसके आप हकदार हैं) पर होगा, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे वारंट को भुना न सके । यही नहीं, बल्कि बैंक खाते की संख्या न दिये जाने की स्थिति में निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] भी आपका खाता नहीं खोल सकेगा ।

12. क्या मैं अपने बैंक खाते के ब्यौरों में परिवर्तन कर सकता हूँ ?

उत्तर हाँ । चूँकि निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली में, आपकी शेष प्रतिभूतियों पर, आर्थिक फायदों का भुगतान, खाता खोलते समय आपके द्वारा दिये गये बैंक खाते के ब्यौरों के अनुसार किया जाता है, इसलिये आपको यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक खाते के ब्यौरों में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना आपके निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को मिल जाए । आपके निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को इस परिवर्तन की सूचना दिये जाने हेतु फॉर्म पृष्ठ सं. 36 पर संलग्नक के तौर पर दिया गया है ।

13 खाता खोलने संबंधी फॉर्म में उल्लिखित "स्थायी अनुदेश" से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर किसी बैंक के खाते में, जमा केवल तभी दी जाती है जब नकद रकम / चेक के साथ जमा-पर्ची भर कर दी जाये । ठीक वैसे ही, निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते में, प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने के लिए "रिसीट-इन" फॉर्म जमा करना होता है । हालाँकि, निवेशकों की सुविधा के लिए, "स्थायी अनुदेश" की

सुविधा दी गयी है । यदि आप स्थायी अनुदेश के लिए "हाँ" कहेंगे (या सही का निशान लगायेंगे), तो आपको प्रतिभूतियाँ खरीदने पर हर समय "रिसीट-इन" पर्ची जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी ।

14. क्या मैं बैंक खाते की तरह "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी(सरवाइवर)" आधार पर संयुक्त खाता चला सकता हूँ ?

उत्तर नहीं । बैंक खाते की तरह डीमैट खाता "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर नहीं चलाया जा सकता ।

15. क्या मैं खाता खोलने के बाद खाता-धारकों (द्वितीय या तृतीय खाता-धारक) के नाम जोड़ सकता हूँ या निकाल सकता हूँ ?

उत्तर नहीं । निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते के खाता-धारकों के नाम नहीं बदले जा सकते । यदि आप नाम बदलना चाहते हैं अथवा किसी खाता-धारक का नाम जोड़ना या निकालना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपेक्षित धारिता स्वरूप (नामों) में नया खाता खोलना होगा और इस प्रकार खोले गये नये खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण (ट्रांसफर) करना होगा । पुराने खाते को बंद किया जा सकता है ।

16. पता बदल जाने पर मुझे क्या करना चाहिए ? क्या इसके लिए मुझे प्रत्येक कंपनी को अलग से लिखना होगा ?

उत्तर यदि आपका पता बदल गया है, तो आपको केवल इतना करना है कि आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को नये पते की सूचना दे दें । जैसे ही निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) कंप्यूटर प्रणाली में नये पते को दर्ज करेगा, उसी क्षण इसकी सूचना उन समस्त कंपनियों को अपने-आप ही मिल जायेगी, जिनमें आपके शेयर हैं ।

17. मैं अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास अपने पते में परिवर्तन कैसे करा सकता हूँ ?

उत्तर आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से लिखित अनुरोध करके निक्षेपागार प्रणाली (डिपॉजिटरी सिस्टम) में अपने पते में परिवर्तन करा सकते हैं । इस प्रकार किये गये अनुरोध पर सभी धारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए । आवेदन (पते के परिवर्तन की सूचना हेतु फॉर्म पृष्ठ सं. 38 पर दिया गया है) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए :

1. अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से प्राप्त डीमैट खाते का नवीनतम लेन-देन विवरण ।
2. पते का सबूत (प्र.4 में उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति) ।
3. निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के सत्यापन के लिए, नये पते के मूल दस्तावेज के साथ, नये पते का सबूत ।

आपको पते के परिवर्तन हेतु अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ लेकर स्वयं निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के कार्यालय में जाना होगा और निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की उपस्थिति में एक बार फिर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

18. मैं अपनी धारिताओं (होल्डिंग्स्) का समेकन (कन्सॉलिडेट) कैसे कर सकता हूँ ?

उत्तर हो सकता है कि कुछ निवेशकों ने अपनी धारिताओं को गैर-कागजी रूप देने के लिए भिन्न-भिन्न नामों के क्रमों में एक से अधिक डीमैट खाते खोले हों । वे उस खाते (उन खातों) में प्रतिभूतियों का अंतरण (ट्रांसफर) करके अपनी धारिताओं का समेकन कर सकते हैं, जिसे (जिन्हें) वे भविष्य में बनाये रखना चाहते हैं, और दूसरे डीमैट खातों को बंद कर सकते हैं ।

19. क्या मैं एक निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास अपने डीमैट खाते को बंद कर सकता हूँ और दूसरे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास अपने खाते में सभी प्रतिभूतियों का अंतरण (ट्रांसफर) कर सकता हूँ ?

उत्तर हाँ । आप निर्धारित फॉर्म में अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से खाता बंद किये जाने का अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं । आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट], आपके अनुदेश के अनुसार, आपकी सभी प्रतिभूतियों का अंतरण कर देगा और आपका डीमैट खाता बंद कर देगा ।

20. खाता बंद करने के लिए और खाता बंद किये जाने की वजह से प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए कितना शुल्क लिया जायेगा ?

उत्तर इस सिलसिले में शुल्क निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की शुल्क-सूची के अनुसार ही लिये जायेंगे, जिनके प्रति आपने खाता खोले

जाने के समय सहमति दी थी, या फिर बाद में उसमें हुए किसी परिवर्तन के अनुसार ।

V. नामांकन (नॉमिनेशन)

1. नामांकन कौन कर सकता है ?

उत्तर नामांकन केवल ऐसे व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिनके या तो एकल रूप में या फिर संयुक्त रूप में हिताधिकारी खाते (बेनीफिशियरी एकाउंट) हों । व्यक्तिगत हैसियत से इतर व्यक्ति (जिनमें सोसाइटी, न्यास (ट्रस्ट), कंपनी निकाय (बॉडी कार्पोरेट), भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कर्ता, मुख्तारनामा(पॉवर ऑफ अटर्नी) धारक शामिल हैं) नामांकन नहीं कर सकते ।

2. क्या खाते के संयुक्त-धारक नामांकन कर सकते हैं ?

उत्तर हाँ । संयुक्त-धारकों वाले खातों में नामांकन की अनुमति है । किन्तु किसी (किन्हीं) भी संयुक्त-धारक(धारकों) की मृत्यु के मामले में, प्रतिभूतियाँ उत्तरजीवी खाता-धारक(धारकों) को प्रेषित हो जायेंगी । खाते के सभी संयुक्त-धारकों की मृत्यु हो जाने पर, प्रतिभूतियाँ नामिती (नॉमिनी) को प्रेषित हो जायेंगी ।

3. क्या अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नामांकन कर सकता है ?

उत्तर हाँ । अनिवासी भारतीय सीधे ही नामांकन कर सकता है।। किन्तु, मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटर्नी) धारक अनिवासी भारतीय की ओर से नामांकन नहीं कर सकता ।

4. क्या अवयस्क व्यक्ति नामांकन कर सकता है ?

उत्तर नहीं, अवयस्क व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकता है, न ही सीधे न ही अपने संरक्षक के माध्यम से।

5. नामिती कौन हो सकता है ?

उत्तर केवल व्यक्ति ही नामिती हो सकता है । सोसाइटी, न्यास, कंपनी निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कर्ता या मुख्तारनामा-धारक (पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर) नामिती नहीं हो सकते हैं ।

6. क्या एक से अधिक नामिती हो सकते हैं ?

उत्तर नहीं, फिलहाल एक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते के लिए केवल एक ही नामांकन किया जा सकता है ।

7. क्या कोई अवयस्क व्यक्ति नामिती हो सकता है ?

उत्तर हाँ । अवयस्क व्यक्ति नामिती हो सकता है । ऐसे मामले में, संरक्षक को नामिती की ओर से हस्ताक्षर करने होंगे और इस प्रकार नामिती के नाम तथा उसकी फोटो के साथ-साथ संरक्षक का नाम, पता तथा फोटो भी निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास जमा किये जायेंगे।

8. क्या निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते में पड़ी प्रत्येक प्रतिभूति के लिए अलग-अलग नामांकन करना संभव है ?

उत्तर नहीं । नामांकन खाते का किया जाता है, न कि प्रतिभूति का ।

9. क्या कोई अनिवासी भारतीय नामिती हो सकता है ?

उत्तर हाँ, अनिवासी भारतीय नामिती हो सकता है, लेकिन समय-समय पर लागू विनिमय नियंत्रण विनियमों (एक्सचेंज कन्ट्रोल रेगुलेशन्स्) के अनुसार ।

10. नामिती को नियुक्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर नामांकन फॉर्म (पृष्ठ सं. 40 पर संलग्नक के तौर पर दिया गया है) को विधिवत् रूप से भरकर, या तो खाता खोले जाने के समय या फिर बाद में, निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास जमा किया जाना चाहिये । खाता-धारक, नामिती तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर इस फॉर्म पर होने चाहिए और नामिती का नाम, पता तथा फोटो भी देनी होगी ।

यदि खाता खोले जाने के समय नामांकन नहीं किया गया था, तो नामांकन फॉर्म बाद में भी भरकर दिया जा सकता है ।

11. क्या नामिती को बदला जा सकता है ?

उत्तर हाँ, खाता-धारक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें केवल नामांकन फॉर्म को फिर से भरकर निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास जमा करना होगा ।

VI. प्रेषण (ट्रांसमिशन)

1. डीमैट खातों के संबंध में प्रेषण का क्या अर्थ है ?

उत्तर प्रेषण वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मृत खाता-धारक की प्रतिभूतियाँ खाते के उत्तरजीवी संयुक्त-धारक (धारकों) / मृत खाता-धारक के कानूनी वारिसों / नामिती के खाते में अंतरित (ट्रांसफर) हो जाती हैं । गैर-कागजी

प्रतिभूतियों के मामले में प्रेषण की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होती है, क्योंकि डीमैट खाते में पड़ी समस्त प्रतिभूतियों के सिलसिले में औपचारिकताएँ तो निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास दस्तावेज प्रस्तुत करके ही पूरी की जा सकती हैं, जबकि कागजी रूप वाली प्रतिभूतियों के सिलसिले में खाते के उत्तरजीवी संयुक्त-धारक (धारकों) / कानूनी वारिसों / नामिती को उस प्रत्येक कंपनी (जिनके शेयर हैं) को अलग से लिखना पड़ता है ।

2. एकमात्र खाता-धारक की मृत्यु हो जाने पर, नामिती को प्रतिभूतियाँ प्रेषित किये जाने के लिए क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर एकमात्र खाता-धारक की मृत्यु हो जाने पर, प्रतिभूतियाँ प्रेषित किये जाने के उद्देश्य से, नामिती को विधिवत् रूप से भरा गया प्रेषण फॉर्म, मृत्यु प्रमाणपत्र की नोटरी की हुई प्रति और निर्धारित फॉर्म में शपथपत्र (एफीडेविट) निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास जमा करना होगा । यदि ये दस्तावेज जाँच के बाद सही पाये जाते हैं, तो निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] नामिती के खाते में प्रतिभूतियाँ प्रेषित कर देगा ।

3. यदि कोई नामांकन ही न किया गया हो, तो क्या होगा ?

उत्तर यदि एकमात्र खाता-धारक ने नामांकन न किया हो, तो प्रतिभूतियाँ ऐसे कानूनी वारिस (वारिसों) के खाते में प्रेषित कर दी जायेंगी, जिनका निर्धारण सक्षम न्यायालय अपने आदेश में करे । हालाँकि, यदि प्रतिभूतियों का मूल्य 1,00,000 रुपये से कम हो, तो निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आवश्यक दस्तावेजों जैसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र (इंडेमनिटी बॉण्ड), प्रतिभू (श्योरिटी), शपथपत्रों तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर इस सिलसिले में कार्रवाई कर सकेगा ।

4. संयुक्त खातों के मामले में प्रेषण कैसे होता है ?

उत्तर खाते के उत्तरजीवी धारक (धारकों) का निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाता होना अनिवार्य है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई खाता "क", "ख" एवं "ग" के संयुक्त नामों में है और फिर "ख" की मृत्यु हो जाने की दशा में खाते के उत्तरजीवी धारकों "क" एवं "ग" का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है । खाते में उत्तरजीवी धारक (धारकों) के नामों का क्रम वही होना चाहिये, जो क्रम बंद किये जाने वाले खाते में हो । उत्तरजीवी धारक (धारकों) को निक्षेपागार

सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :

- प्रेषण फॉर्म (एनएसडीएल के कारोबारी-नियमों का संलग्नक "ओ") ; तथा
- मृतक के मृत्यु प्रमाणपत्र की नोटरी की हुई प्रति ।

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] उपरोक्त दस्तावेजों का सत्यापन करने और अपना समाधान कर लेने के बाद, उत्तरजीवी धारक (धारकों) के खाते में प्रतिभूतियाँ प्रेषित कर देगा और मृतक के खाते को बंद कर देगा ।

VII. गैर-कागजी रूप (डिमैटीरियलाइजेशन)

1. गैर-कागजी रूप का क्या अर्थ है ?

उत्तर गैर-कागजी रूप (डिमटेरियलाइजेशन) वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से निवेशक के कागजी प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में तब्दील हो जाते हैं और इस प्रकार प्रतिभूतियों की संख्या भी उतनी ही रहती है, और जो निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खुले निवेशक के खाते में जमा हो जाते हैं ।

प्रमाणपत्रों को गैर-कागजी रूप देने के लिए, निवेशक को सबसे पहले निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खाता खोलना होगा और फिर प्रमाणपत्रों के गैर-कागजी रूप हेतु अनुरोध फॉर्म (डी.आर.एफ.) भरना होगा, जो निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास उपलब्ध होता है, और इस फॉर्म के साथ कागजी प्रमाणपत्र भी जमा करने होंगे । निवेशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को डीमैट हेतु प्रमाणपत्र सौंपने से पहले, इन प्रमाणपत्रों के सम्मुख-भाग पर "डीमैट हेतु सौंपा गया" लिखकर इन्हें विरूपित (डीफेस) कर दिया जाये ।

2. क्या मैं किसी भी शेयर प्रमाणपत्र को गैर-कागजी रूप दे सकता हूँ ?

उत्तर आप केवल उन्हीं प्रमाणपत्रों को गैर-कागजी रूप दे सकते हैं जो पहले से ही आपके नाम में हों और जो एनएसडीएल में गैर-कागजी रूप दिये जाने हेतु स्वीकृत प्रतिभूतियों की सूची में शामिल हों ।

एस एंड पी, सीएनएक्स, निफ्टी तथा बीएसई सेनसेक्स में सम्मिलित समस्त स्क्रिपें पहले ही एनएसडीएल में शामिल हो चुकी हैं । इस सूची में 4,900 से भी अधिक कंपनियाँ शामिल हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है । आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से या एनएसडीएल के कार्यालय से या एनएसडीएल के वेबसाइट www.nsdl.co.in से इन कंपनियों की नवीनतम सूची प्राप्त कर सकते हैं ।

3. किसी शेयर प्रमाणपत्र को विरूपित (डीफेस) करने से पहले मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए ?

उत्तर शेयर प्रमाणपत्र को विरूपित करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उस प्रमाणपत्र को गैर-कागजी रूप देना संभव है । इसके लिए आपको अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से यह पता लगाना होगा कि क्या आईएसआईएन (निक्षेपागार [डिपॉजिटरी] प्रणाली में प्रतिभूति की कोड संख्या) क्रियाशील हो गया है और क्या यह निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) द्वारा गैर-कागजी रूप दिये जाने के लिए उपलब्ध है । यदि हाँ, तो आप शेयर प्रमाणपत्र को विरूपित कर सकते हैं । प्रमाणपत्रों के सम्मुख-भाग पर "डीमैट हेतु सौंपा गया" लिखकर, इन प्रमाणपत्रों को विरूपित किया जाता है ।

4. गैर-कागजी रूप देने की प्रक्रिया में समय कितना लगता है ?

उत्तर इस प्रक्रिया में आम तौर पर लगभग तीस दिन लगते हैं ।

5. जिन प्रतिभूतियों को मुझे नहीं बेचना है, तो क्या मुझे उन्हें भी गैर-कागजी रूप देना होगा ?

उत्तर निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत निवेशक को यह विकल्प दिया गया है कि वह चाहे तो प्रतिभूतियों को कागजी रूप में रखे, या फिर गैर-कागजी रूप में । इसलिये, जो निवेशक अपनी प्रतिभूतियों को नहीं बेचना चाहते, वे यदि चाहें तो इन्हें गैर-कागजी रूप नहीं भी दे सकते । निवेशकों को निर्गमकर्ता (इश्यूअर) / रजिस्ट्रार से कागजी रूप वाली प्रतिभूतियों पर बोनस, लाभाँश, राइट्स आदि जैसे कंपनी फायदे मिलते रहेंगे और उसके अधिकार एवं दायित्व भी वही होंगे जो गैर-कागजी रूप वाली प्रतिभूतियाँ रखने वाले निवेशकों के होते हैं । यही नहीं, बल्कि 500 तक के शेयरों को कागजी रूप में बेचा जा सकता है (गैर-कागजी रूप दिये बिना) । हालाँकि, बेचने से पहले

अपने दलाल से पूछ लें क्योंकि बहुत से निवेशक कागजी रूप वाले शेयरों को नहीं भी खरीदते ।

6. यदि शेयरों को गैर-कागजी रूप देने की प्रक्रिया में 30 से अधिक दिन लगें, तो ?

उत्तर यदि इस प्रक्रिया में 30 से अधिक दिन लगें, तो आप कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से संपर्क करें । यदि वह भी आपकी मदद करने में असमर्थ हो, तो आप अपनी शिकायत इस पते पर भेज सकते हैं :

प्रभारी अधिकारी
निवेशक संबंध कक्ष,
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड,
पाँचवीं मंज़िल, ट्रेड वर्ल्ड,
कमला मिल्स कम्पाउंड,
सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल,
मुंबई - 400 013.
ई-मेल : relations@nsdl.co.in

आप हमारे वेबसाइट www.nsdl.co.in पर निवेशक शिकायत फॉर्म के जरिये एनएसडीएल के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।

VIII. सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा ऋण लिखतें (डैट इन्स्ट्रूमेण्ट्स)

1. क्या मैं अपने डीमैट खाते में अपनी ऋण लिखतों, पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की यूनिटों, सरकारी प्रतिभूतियों को भी गैर-कागजी रूप दे सकता हूँ ?

उत्तर हाँ, आप ऐसे समस्त निवेशों को गैर-कागजी रूप दे सकते हैं और इन्हें एक ही डीमैट खाते में रख भी सकते हैं ।

IX. फिर से कागजी रूप देना (रिमैटीरियलाइजेशन)

1. क्या मेरी इलेक्ट्रॉनिक रूप वाली प्रतिभूतियाँ फिर से प्रमाणपत्रों में तब्दील हो सकती हैं ?

उत्तर हाँ । यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभूतियाँ फिर से कागजी रूप में तब्दील हो जायें, तो इसके लिए आपको अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी

पार्टिसिपेंट] से अनुरोध करना होगा । "फिर से कागजी रूप देना" - इस पद का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप वाली प्रतिभूतियों को प्रमाणपत्रों में तब्दील करने हेतु किया जाता है । आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट], आपके खाते में अपेक्षित-शेष का सत्यापन करने के बाद, आपके अनुरोध को एनएसडीएल में भेज देगा । फिर एनएसडीएल रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दे देगा जो प्रमाणपत्रों को मुद्रित (प्रिन्ट) करके आपको भेज देगा ।

X. सौदा / निपटान (ट्रेडिंग / सेटलमेंट)

1. गैर-कागजी प्रतिभूतियों को कैसे बेचा जा सकता है ?

उत्तर गैर-कागजी प्रतिभूतियों को बेचना बहुत ही आसान है । आपको प्रतिभूतियाँ बेचने के बाद अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को यह अनुदेश देना होगा कि वह आपके द्वारा बेची गयी प्रतिभूतियों को आपके खाते से डेबिट करके आपके दलाल के क्लियरिंग (समाशोधन) खाते में जमा कर दे । आपको खाता खोले जाने के समय निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा दी गई सुपुर्दगी अनुदेश पर्चियों (डिलीवरी इन्स्ट्रक्शन स्लिप) का इस्तेमाल करते हुए अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को सुपुर्दगी अनुदेश देना होगा । प्रतिभूतियों को बेचने की प्रक्रिया नीचे दी गयी है :

- आप दलाल के माध्यम से एनएसडीएल से जुड़े किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को बेचें ।
- आप, अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पहले, अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को यह अनुदेश दें कि वह आपके खाते से डेबिट करके दलाल (क्लियरिंग सदस्य) के खाते में जमा कर दे ।
- भुगतान आने (पे-इन) के दिन से पहले, आपका दलाल समाशोधन निगम (क्लियरिंग कार्पोरेशन) को सुपुर्दगी देने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को अनुदेश दे देता है ।
- आपका दलाल स्टॉक एक्सचेंज (समाशोधन निगम [क्लियरिंग कार्पोरेशन]) से भुगतान प्राप्त कर लेता है ।
- आप प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए दलाल से भुगतान प्राप्त कर लेते हैं ।

2. मै गैर-कागजी रूप वाली प्रतिभूतियाँ कैसे खरीदूँ ?

उत्तर डीमैट वाली प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने के लिए, आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को एकबारगी स्थायी अनुदेश दे सकते हैं । यह स्थायी अनुदेश खाता खोले जाने के समय भी दिया जा सकता है, बाद में भी । या फिर, जब-जब आपको कुछ प्रतिभूतियाँ प्राप्त करनी हों, तब-तब आप अलग से प्राप्ति अनुदेश दे सकते हैं ।

संक्षेप में, प्रतिभूतियों की खरीद संबंधी लेन-देन इस प्रकार होते हैं :

- आप प्रतिभूतियों को दलाल के माध्यम से खरीदें ;
- आप अपने उस दलाल को भुगतान करें, जो भुगतान आने (पे-इन) के दिन अपने समाशोधन निगम (क्लियरिंग कार्पोरेशन) को भुगतान करने की व्यवस्था करता है ;
- आपका दलाल भुगतान किये जाने (पे-आउट) के दिन अपने क्लियरिंग खाते (क्लियरिंग सदस्य के खाते) में प्रतिभूतियों को प्राप्त कर लेता है ;
- आपका दलाल अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को यह अनुदेश दे देता है कि वे उसके क्लियरिंग खाते में से डेबिट करके आपके खाते में जमा कर दें ;
- आप अपने खाते में शेयर प्राप्त कर लेते हैं । हालाँकि, यदि खाता खोले जाने के समय स्थायी अनुदेश न दिये गये हों, तो आपको अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को जमा प्राप्त करने के लिए "प्राप्ति अनुदेश" देने होंगे ।

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका दलाल बुक क्लोजर से पहले अपने समाशोधन सदस्य (क्लियरिंग मेम्बर) के खाते से आपके निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते में प्रतिभूतियाँ अंतरित कर दे। यदि प्रतिभूतियाँ दलाल के समाशोधन (क्लियरिंग) खाते में ही रह जायेंगी, तो कंपनी दलाल को कंपनी-फायदे (लाभाँश या बोनस) दे देगी, फिर ये फायदे आपको अपने दलाल से प्राप्त करने होंगे ।

3. "बाजार सौदे" तथा "बाजार से इतर सौदे" क्या होते हैं ?

उत्तर समाशोधन निगम (क्लियरिंग कार्पोरेशन) के माध्यम से निपटाया गया कोई सौदा "बाजार सौदा" कहलाता है । ये सौदे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक दलालों के माध्यम से किये जाते हैं । "बाजार से इतर सौदा" वह सौदा होता है जिसे

समाशोधन निगम (क्लियरिंग कार्पोरेशन) को शामिल किये बिना ही दो पक्षकारों (पार्टियों) के बीच सीधे ही निपटा लिया जाता है । दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर निशान लगाते हुए, बाजार सौदे या बाजार से इतर सौदे - दोनों के लिए एक ही सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची का इस्तेमाल किया जा सकता है ।

4. यदि मैं किसी उप-दलाल के जरिये प्रतिभूतियाँ बेचूँ, तो मैं सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची का कौन-सा भाग भरूँ ?

उत्तर यदि आप प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी अपने उप-दलाल को दे रहे हैं, तो आप सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची के "बाजार से इतर सौदे" वाले भाग को भरें ।

5. सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची पर निपटान के कौन-से ब्यौरे होने चाहिए ?

उत्तर प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज में, रोजाना विभिन्न प्रकार के निपटान किये जाते हैं, जैसे दैनिक निपटान, नीलामी निपटान आदि । ऐसे प्रत्येक निपटान की पहचान बाजार के प्रकार तथा निपटान संख्या से की जाती है । आपसे अपेक्षित है कि आप अपने दलाल के खाते में शेयरों को अंतरित (ट्रांसफर) करते समय सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची पर निपटान के उपयुक्त ब्यौरों का उल्लेख करें । निपटान के ये ब्यौरे दलाल द्वारा जारी किये गये संविदा नोट (कॉन्ट्रेक्ट नोट) पर उपलब्ध होते हैं ।

6. टी + 2 आवर्तन निपटान चक्र (रोलिंग सेटलमेंट साइकल) क्या होता है और सुपुर्दगी दलाल को कब देनी होती है ?

उत्तर टी + 2 रोलिंग निपटानों के मामले में, प्रत्येक व्यापारिक दिवस (ट्रेडिंग डे) को होने वाले सौदों को सौदे की तारीख के बाद दूसरे कार्य-दिवस को निपटाना होता है । उदाहरण के तौर पर, सोमवार के सौदे बुधवार की सुबह को निपटाये जायेंगे । इस उदाहरण में, यदि आपने प्रतिभूतियाँ बेच दी हैं, तो आपको यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन (क्लियरिंग) सदस्य के खाते में मंगलवार तक पहुँच जायें ।

7. टी + 2 रोलिंग निपटान चक्र के मामले में, यदि मैं उप-दलाल के जरिये सौदा (ब्रिकी) करता हूँ, तो मुझे अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को कब सुपुर्दगी अनुदेश देना होगा ?

उत्तर इस मामले में भी, निपटान की समय-सीमा वही होगी (अर्थात् सोमवार के सौदे के लिए बुधवार सुबह) । हालाँकि, यहाँ एक अंतरण और होता है । आप

उप-दलाल के खाते में प्रतिभूतियों को अंतरित करेंगे और फिर उप-दलाल समाशोधन (क्लियरिंग) सदस्य के खाते में इन्हें अंतरित करेगा। इस प्रकार, आपको इस मामले में बिक्री का सौदा पक्का होते ही अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को सुपुर्दगी अनुदेश देना होगा ।

8. मुझे निपटान की समय-सीमा के बारे में कैसे पता चलेगा ?

उत्तर जिस निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास आपका डीमैट खाता है, वह निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] समय-सीमाएँ निर्धारित करेगा, जिसका अनुसरण आपको सुपुर्दगी अनुदेश पर्चियाँ जमा किये जाने के सिलसिले में करना होगा । आपको अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को अनुदेश इन समय-सीमाओं के अनुसार देने होंगे ।

9. शेयर खरीदने के बाद, मुझे प्रतिभूतियाँ अपने दलाल से कब तक प्राप्त हो जानी चाहिए ?

उत्तर दलाल से यह अपेक्षित होता है कि वह अपने समाशोधन (क्लियरिंग) सदस्य के खाते में प्रतिभूतियाँ प्राप्त हो जाने के बाद दो कार्य-दिवसों या चार कैलेंडर दिनों, जो भी बाद में आये, के भीतर आपको प्रतिभूतियाँ अंतरित कर दे, बशर्ते कि आपने दलाल को अपेक्षित भुगतान कर दिया हो ।

10 सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची (डीआईएस) के बारे में मुझे क्या सावधानी बरतनी होगी ?

उत्तर आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा :

- सुनिश्चित कर लें कि आपने डीआईएस पुस्तिका प्राप्त कर ली है अन्यथा अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से इसे जारी करने के लिए अवश्य कहें ; खुले-पन्नों वाली पर्चियों को स्वीकार न करें ।
- सुनिश्चित करें कि डीआईएस की संख्याएँ पहले से छपी हुई हों और यह कि निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आपको डीआईएस की पुस्तिका जारी करके आपसे इसकी पावती भी ले ले ।
- सुनिश्चित करें कि आपके खाते की संख्या (ग्राहक की पहचान संख्या) की मुहर प्रत्येक पर्ची पर पहले से लगी हो।
- यदि आपका संयुक्त खाता है, तो खाते के सभी संयुक्त-धारकों को अनुदेश पर्चियों पर हस्ताक्षर करने होंगे । सभी संयुक्त-धारकों के हस्ताक्षर के बिना अनुदेश पर कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

- खुले-पन्नों वाली पर्चियों का इस्तेमाल न करें ।
- इन पर्चियों को बिना भरे ही हस्ताक्षर करके किसी के भी पास, अर्थात् दलाल / उप-दलाल के पास, न छोड़ें ।
- जब डीआईएस इस्तेमाल में न हो, तब इसे सुरक्षित स्थान पर ही रखें ।
- यदि डीआईएस में केवल एक ही प्रविष्टि की हो, तो बाकी के स्थान को काट दें ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके ।
- कृपया डीआईएस में टार्गेट खाते की संख्या (आईडी) तथा समस्त ब्यौरे खुद भरें ।

11. सुपुर्दगी अनुदेश फॉर्म में दी गई "निष्पादन तारीख" कौन-सी तारीख होती है ?

उत्तर निष्पादन (एग्जीक्यूशन) तारीख वह तारीख होती है जिस दिन प्रतिभूतियाँ वास्तव में आपके खाते से डेबिट हो जायें । सुपुर्दगी अनुदेश पर लिखी गई निष्पादन तारीख निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को डीपीएम प्रणाली (कंप्यूटर) में दर्ज करनी होती है । डीपीएम प्रणाली में यह तारीख दर्ज हो जायेगी और आपके खाते से उसी तारीख को डेबिट भी कर देगी । आप उस तारीख के बारे में पहले ही अनुदेश दे सकते हैं, जिस दिन आप अपने खाते में से प्रतिभूतियों को डेबिट करवाना चाहते हैं लेकिन आपके खाते से डेबिट केवल निष्पादन तारीख को ही होगा । इस सुविधा को भावी निष्पादन तारीख सुविधा कहा जाता है ।

12. भावी निष्पादन तारीख का सुपुर्दगी अनुदेश देने से मुझे क्या फायदा होगा ?

उत्तर भावी तारीख का अनुदेश दे देने से - समय की कमी या अंतिम क्षणों में मची हड़बड़ी की वजह से कार्रवाई न होने का जोखिम नहीं रहता ।

13 मेरे लिए रिकॉर्ड तारीखों का क्या महत्त्व है ?

उत्तर यदि आपके द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ, बुक क्लोजर / रिकार्ड तारीख से पहले आपके दलाल द्वारा अभी आपके खाते में अंतरित की जानी हों, तो आप कंपनी फायदों जैसे लाभाँश या बोनस को प्राप्त करने के हकदार नहीं होगें क्योंकि आपका नाम हिताधिकारी स्वामियों (बेनीफीशियरी ओनर) की सूची में ही नहीं होगा । इसलिये, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके

द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ, कंपनी द्वारा घोषित बुक क्लोजर / रिकार्ड तारीख से पहले, आपके खाते में अंतरित हो जायें ।

XI. स्पीड-ई तथा आई.डी ई ए.एस की सुविधा (इंटरनेट सुविधा)

1. क्या इंटरनेट के जरिये निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को सुपुर्दगी अनुदेश देना संभव है, यदि हाँ तो कैसे ?

उत्तर हाँ । एनएसडीएल ने हाल ही में इंटरनेट के जरिये अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को अनुदेश दिये जाने की सुविधा आरंभ की है, जिसे स्पीड-ई के नाम से जाना जाता है । इस सुविधा का उपयोग सभी पंजीकृत प्रयोक्ता (यूज़र) कर सकते हैं । इस सुविधा के लिए रजिस्टर करने में आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आपकी मदद करेगा ।

2. स्पीड-ई सुविधा कैसे काम करती है ?

उत्तर एक बार आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] स्पीड-ई सुविधा के जरिये आपको अपना खाता चलाने के लिए प्राधिकृत कर दे, फिर आप स्पीड-ई वेबसाइट https://www.speed-e.nsdl.com. पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुपुर्दगी अनुदेश दे सकते हैं । आप ऐसे सुपुर्दगी अनुदेशों की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि अनुदेशों पर कार्रवाई हो गई है ।

3. मुझे डीमैट खाता-धारक होने के नाते / समाशोधन (क्लियरिंग) सदस्य को स्पीड-ई सुविधा से क्या फायदा हो सकता है ?

उत्तर डीमैट खाता-धारक / समाशोधन (क्लियरिंग) सदस्य स्पीड-ई सुविधा के जरिये - किसी भी समय कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से डीमैट खाते में लेन-देन कर सकते हैं, और इस प्रकार इस प्रक्रिया में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती । इससे, अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से सुपुर्दगी अनुदेश फॉर्म प्राप्त करने में और प्रतिभूतियाँ बेचते समय हर बार निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास फॉर्म जमा करने में लगने वाले समय और प्रयास दोनों ही बच जाते हैं ।

4. मैं खुद को स्पीड-ई सुविधा के लिए कैसे पंजीकृत करा सकता हूँ ?

उत्तर स्पीड-ई सुविधा का प्रयोग करने के लिए यह जरूरी है कि आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] इस सुविधा के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत

हो । इस सुविधा के लिए दो प्रकार के प्रयोक्ता (यूज़र) होते हैं, एक तो पासवर्ड आधारित प्रयोक्ता - जो अपने पासवर्ड से संपर्क जोड़ता है और अपनी इच्छा से केवल तीन पूर्व-निर्धारित दलाल खातों में प्रतिभूतियों को अंतरित कर सकता है । दूसरा स्मार्ट कार्ड आधारित प्रयोक्ता होता है - जिसे साइट से संपर्क जोड़ने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है और जो किसी भी खाते में प्रतिभूतियों को अंतरित कर सकता है ।

पासवर्ड वाला प्रयोक्ता स्पीड-ई वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट पर ही उपलब्ध पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) फॉर्म भर सकता है । वेबसाइट पर एक पंजीकरण संख्या आबंटित की जायेगी और ग्राहक (क्लाइंट) का निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] पंजीकरण संख्या के साथ किये गये अनुरोध के आधार पर उसे इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर देगा ।

स्मार्ट कार्ड वाला प्रयोक्ता वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके, उसे भरकर अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास जमा कर सकता है । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] इस फॉर्म पर कार्रवाई करेगा और ग्राहक को इस सुविधा का प्रयोग करने में समर्थ बनायेगा । स्मार्ट कार्ड वाले प्रयोक्ता को स्मार्ट कार्ड रीडर तथा स्मार्ट कार्ड जारी किये जायेंगे ।

5. स्पीड-ई में स्मार्ट कार्ड के आधार पर और पासवर्ड के आधार पर पहुँच रखने में क्या अंतर है ?

उत्तर स्पीड-ई में स्मार्ट कार्ड के आधार पर पहुँच रखना अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि आपकी पहचान के दोनों आधार हो जाते हैं, अर्थात् एक तो "आपके पास स्मार्ट कार्ड है" और दूसरा यह कि "आप पिन का कोड जानते हैं", और यही नहीं बल्कि आपकी पहचान करने के लिए एक डिजिटल हस्ताक्षर (सिग्नेचर) भी मिलता है । पासवर्ड के आधार पर पहुँच रखने के सिलसिले में, आपको अपने पासवर्ड के मामले में भी बड़ी सावधानी बरतनी होगी । सुरक्षा के इस फर्क को ध्यान में रखते हुए, पासवर्ड वाले प्रयोक्ताओं को स्पीड-ई सुविधा के जरिये केवल तीन ही पूर्व-निर्धारित दलाल खातों में प्रतिभूतियों को अंतरित करने की अनुमति दी गयी है । प्रयोक्ता इन तीनों खातों में तब्दीली कर सकता है ।

6. स्पीड-ई सुविधा में स्मार्ट कार्ड के और क्या फायदे हैं ?

उत्तर स्पीड-ई सुविधा में स्मार्ट कार्ड के और फायदे भी हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(i) स्मार्ट कार्ड वाला प्रयोक्ता किसी भी खाते में प्रतिभूतियों को अंतरित कर सकता है, पासवर्ड वाले प्रयोक्ताओं की तरह नहीं - जिन्हें केवल तीन ही पूर्व-निर्धारित समाशोधन सदस्य (क्लियरिंग मेंबर) के खातों में प्रतिभूतियों को अंतरित करने की अनुमति है ;

(ii) एक ही निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास खोले गये आपके सभी डीमैट खातों में पहुँच रखने के लिए एक ही स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल हो सकता है ;

(iii) एक से अधिक प्राधिकरण की सुविधा ;

(iv) आप खुद-ब-खुद स्पीड-ई के जरिये अपने डीमैट खाते पर या किसी विशिष्ट आईएसआईएन पर या आईएसआईएन के अंतर्गत ही विशिष्ट मात्रा पर रोक लगा सकते हैं । स्पीड-ई के जरिये खाते पर लगायी गयी रोक केवल आपके द्वारा ही हटायी जा सकती है । इसके जरिये आप अनुदेश दे सकते हैं और प्रतिभूतियों को अंतरित कर सकते हैं, जब चाहें, खाते को बंद कर सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर खोल सकते हैं, यानि कि आपके खाते का पूरा नियंत्रण आपके हाथों में ही होगा ।

7. कोई व्यक्ति स्पीड-ई के जरिये संयुक्त खाते को कैसे चलायेगा ?

उत्तर यदि पासवर्ड के आधार पर चलाना हो, तो केवल एक ही प्रयोक्ता खाते को चला सकता है । खाते के संयुक्त-धारकों को चाहिए कि वे खाते के किसी एक संयुक्त-धारक को मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटर्नी) दे दें ।

स्मार्ट कार्ड के आधार पर चलाना हो, तो जो कुछ भी ऊपर कहा गया है उसके अलावा, खाते के सभी संयुक्त-धारक एक से अधिक प्राधिकरण की सुविधा का इस्तेमाल करके अलग-अलग या मिलकर खाते को चला सकते हैं ।

8. आई.डी ई ए.एस क्या होता है ?

उत्तर आई.डी ई ए.एस एक ऐसी सुविधा है जो ग्राहक (दलालों सहित) के लिए स्पीड-ई वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके जरिये वे अपने निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते में बकाया-शेष को तथा अंतिम पाँच दिनों में हुए लेनदेनों को देख सकते हैं ।

स्क्रीन का प्रिन्ट भी लिया जा सकता है ।

9. आई.डी ई ए.एस का लाभ कौन उठा सकता है ?

उत्तर यह सुविधा दोनों के लिए ही उपलब्ध है :

- स्पीड-ई हेतु पंजीकृत निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के ग्राहकों के लिए (जिनमें दलाल शामिल हैं) ।
- केवल आई.डी ई ए.एस के लिए ही पंजीकृत निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के ग्राहकों के लिए (जिनमें दलाल शामिल हैं) ।

XII. कंपनी (कॉर्पोरेट) फायदे

1. मैं अपना लाभाँश / ब्याज या दूसरा कोई नकदी फायदा कैसे प्राप्त करूँगा ?

उत्तर संबंधित कंपनी हिताधिकारी धारकों (बेनीफीशियरी होल्डर) तथा उनकी धारिताओं (होल्डिंग्स्) के ब्यौरे एनएसडीएल से प्राप्त कर लेती है । कंपनी निवेशकों को भुगतान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा) के जरिये या फिर वारंट (जिन पर आपके बैंक के खाते के ब्यौरे छपे होते हैं) जारी करके करेगी । बैंक खाते के ये ब्यौरे वही होंगे जो आपने खाता खोले जाने के फॉर्म में दिये हों या फिर बाद में बदले हों ।

2. मैं अपने बोनस शेयर या दूसरे गैर-नकदी फायदे कैसे प्राप्त करूँगा ?

उत्तर संबंधित कंपनी हिताधिकारी धारकों (बेनीफीशियरी होल्डर) तथा उनकी धारिताओं (होल्डिंग्स्) के ब्यौरे एनएसडीएल से प्राप्त कर लेती है । कंपनी ऐसे फायदों को आपके एनएसडीएल के निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते में सीधे ही जमा कर देगी ।

3. निवेशक को इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि बोनस / राइट्स संबंधी फायदे खाते में जमा हो गये हैं ?

उत्तर बोनस / राइट्स संबंधी फायदों के लिए आबंटन-सूचना निर्गमकर्ता (इश्यूअर) / इसके रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता (ट्रांसफर एजेंट) द्वारा भेजी जाएगी । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा दिया गया लेन-देन विवरण, खाते में जमा बोनस / राइट्स को भी दर्शायेगा । इस आबंटन-सूचना तथा लेन-देन विवरण में दर्शायी गयी मात्रा मेल खानी चाहिए ।

XIII. गिरवी रखना (प्लेजिंग)

1. मुझे इलेक्ट्रॉनिक रूप वाली प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए क्या करना होगा ?

उत्तर इसकी प्रक्रिया नीचे दी गयी है :

- आपके (गिरवीकर्ता) तथा उधारदाता (गिरवीदार) दोनों के खाते एक ही निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में होने चाहिए ;
- आपको जिन प्रतिभूतियों को गिरवी रखना है, उनके ब्यौरे निर्धारित फॉर्म में भरकर अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास जमा करके गिरवी की प्रक्रिया शुरु करनी होगी ;
- गिरवीदार को अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के माध्यम से अनुरोध की पुष्टि करनी होगी । आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप गिरवी का अनुरोध करने के बाद गिरवीदार को सूचित कर दें और उससे अनुरोध करें कि वह इसकी पुष्टि भी कर ले ;
- उपरोक्त प्रक्रिया के पूरा होते ही, आपकी प्रतिभूतियाँ गिरवी हो जाती हैं ।

गिरवीकर्ता तथा गिरवीदार के बीच समस्त वित्त-संबंधी लेन-देन निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली के बाहर सामान्य पद्धति के अनुसार किये जाते हैं ।

2. मैं अपने ऋण की चुकौती के बाद गिरवी को बंद कैसे करूँ ?

उत्तर आप अपने ऋण की चुकौती करने के बाद, अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को निर्धारित फॉर्म में अनुदेश देकर गिरवी को बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं । चुकौती हो जाने पर गिरवीदार तदनुसार गिरवी को बंद करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को अनुदेश देगा ।

3. क्या गिरवीदार का खाता किसी दूसरे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास हो सकता है ?

उत्तर हाँ । गिरवीदार का खाता एनएसडीएल के किसी दूसरे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास हो सकता है ।

4. क्या मैं गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों में तब्दीली कर सकता हूँ ?

उत्तर हाँ ; यदि गिरवीदार (उधारदाता) सहमत हो, तो आप गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों में तब्दीली कर सकते हैं ।

5. गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों पर लाभाँश कौन प्राप्त करेगा ?

उत्तर गिरवीकर्ता ही गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों पर लाभाँश प्राप्त करता रहेगा । गिरवीदार इन फायदों को तभी प्राप्त करेगा, जब गिरवी प्रभावी हो गयी हो और रिकार्ड तारीख को शेयर गिरवीदार के खाते में हों ।

6. गिरवी रखे गये शेयरों के लिए बोनस शेयरों का वितरण कैसे होगा ?

उत्तर स्वचालित कंपनी कार्रवाई (ऑटोमेटेड कॉर्पोरेट एक्शन) की प्रणाली (मॉड्यूल) के माध्यम से बोनस के फायदों के वितरण के लिए एनएसडीएल के सॉफ्टवेयर को संशोधित कर लिया गया है । यह निम्नानुसार कार्य करता है :

- ✍ रिकार्ड तारीख / बुक क्लोजर की तारीख को धारिताओं (गिरवी धारिताओं [होल्डिंग्स्] सहित) के लिए बोनस की गणना की जाती है ।
- ✍ बोनस शेयरों को जमा किये जाने के समय, प्रणाली यह जाँच लेती है कि गिरवी अब भी खुली है या बंद हो गयी है ।
- ✍ जहाँ गिरवी के आदेश बंद / प्रभावी नहीं हुए हैं या पूरी तरह से बंद / प्रभावी नहीं हुए हैं, तो ऐसे मामलो में बोनस संबंधी फायदे गिरवीदार के पक्ष में गिरवी को अंकित करके गिरवीकर्ता के खाते में जमा किये जाते हैं ।
- ✍ यदि गिरवी पूरी तरह से बंद / प्रभावी हो गयी हो, तो बोनस संबंधी फायदे गिरवीकर्ता के खाते में जमा हो जायेंगे ।

XIV. प्रतिभूतियाँ (सिक्योरिटीज) उधार देना एवं लेना

सेबी ने प्रतिभूतियाँ उधार देने एवं लेने के लिए एक स्कीम शुरु की है । इस स्कीम के अनुसार, प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्ति मुनाफे के लिए अपनी प्रतिभूतियों को उधार पर दे सकते हैं और जो व्यक्ति इन प्रतिभूतियों को लेना चाहते हैं (बाजार के दायित्वों को पूरा करने के लिए, यथा संपार्श्विक [कॉलेटेरल] आदि) वे इन्हें उधार पर ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत, सेबी द्वारा अनुमोदित मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के माध्यम से प्रतिभूतियाँ उधार पर दी जाती हैं । अनुमोदित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) आगे उधार देने के लिए प्रतिभूतियाँ उधार पर लेंगे । प्रतिभूतियों को उधार पर देने वाले और प्रतिभूतियों को उधार पर लेने वाले, प्रतिभूतियों को उधार पर देने और उधार पर लेने के लिए अनुमोदित मध्यवर्ती के साथ अलग-अलग करारनामे करते हैं । उधार देने एवं लेने की प्रक्रिया निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली के माध्यम से संपन्न होती है ।

1. क्या मैं अपने खाते में पड़ी प्रतिभूतियों को उधार पर दे सकता हूँ ?

उत्तर हाँ । आप सेबी द्वारा अनुमोदित मध्यवर्तियों के जरिये प्रतिभूतियों को उधार पर दे सकते हैं ।

2. मैं अपनी डीमैट (गैर-कागजी) वाली प्रतिभूतियों को कैसे उधार पर दूँगा ?

उत्तर आपको इस स्कीम के तहत उधारदाता बनने के लिए अनुमोदित मध्यवर्ती के साथ एक करारनामा करना होगा । फिर आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को उधार देने का अनुदेश देकर किसी भी समय प्रतिभूतियों को उधार पर दे सकेंगे ।

3. मैं उधार पर दी गई अपनी प्रतिभूतियों को वापस कैसे प्राप्त करूँगा ?

उत्तर मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) किसी भी समय या उधार की अवधि के समाप्त होने पर प्रतिभूतियों को लौटा सकेगा । यदि मध्यवर्ती को उधार की अवधि के दौरान कोई फायदे प्राप्त हुए हों, तो उसे ये प्रतिभूतियाँ इन फायदों के साथ लौटानी होंगी ।

4. मैं उन कंपनी-फायदों को कैसे प्राप्त करूँगा, जो कि उधार की अवधि के दौरान इन प्रतिभूतियों पर देय हों ?

उत्तर ये फायदे मध्यवर्ती / उधार लेने वाले को दिये जायेंगे । लेकिन प्रतिभूतियों को लौटाये जाने / वापस माँगे जाने के समय मध्यवर्ती / उधार लेने वाला प्रतिभूतियों को उन फायदों के साथ लौटायेगा, जो उसने प्राप्त किये हों ।

XV. प्रभार (शुल्क)

1. खाता खोलने और निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) से संबंधित अन्य लेन-देनों के लिए कितना शुल्क अदा करना होगा ?

उत्तर एनएसडीएल निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से शुल्क लेता है, न कि निवेशकों से । एनएसडीएल अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से निश्चित शुल्क लेता है और जो एनएसडीएल की प्रणाली (सिस्टम) के उपयोग पर आधारित होते हैं । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा एनएसडीएल को अदा किये जाने वाले शुल्कों का पूरा ब्यौरा एनएसडीएल के वेबसाइट (www.nsdl.co.in) पर उपलब्ध है । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] अपने ग्राहक (क्लाइंट) से दी गई सेवाओं के लिए शुल्क लेता है । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] विभिन्न

सेवाओं के लिए आपसे जो शुल्क लेगा, उन शुल्कों का उल्लेख शुल्क-सूची में होता है, यह सूची निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] - ग्राहक के करारनामे का हिस्सा होती है । भावी संदर्भ के लिए आप इसकी प्रति अपने पास रखें । आप शुल्कों के ब्यौरे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से प्राप्त कर सकते हैं । आप एनएसडीएल के कार्यालय से या एनएसडीएल के वेबसाइट से निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के शुल्कों की तुलनात्मक सूची भी प्राप्त कर सकते हैं ।

आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आपको 30 दिन का नोटिस देकर शुल्कों में संशोधन कर सकता है ।

2. एनएसडीएल निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के शुल्कों को नियंत्रित क्यों नहीं करता ?

उत्तर एनएसडीएल ने कीमत-निर्धारण का जो ढाँचा अपनाया है, वह द्वि-स्तरीय है । एनएसडीएल भिन्न-भिन्न प्रकार के लेनदेनों के लिए निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से शुल्क लेता है । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] स्वयं कीमत-निर्धारण करते हैं और इसी आधार पर अपने निवेशकों से शुल्क लेते हैं । निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] स्वयं कीमत-निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस प्रकार एनएसडीएल इस सिलसिले में निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं लगाता । इससे निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जाती है और इस प्रकार वे अपने-अपने खाता-धारकों को बेहतर सेवाएँ भी प्रदान करते हैं । हालाँकि, कुछ सिद्धाँत जो एनएसडीएल ने निर्धारित किये हुए हैं और जो निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] - ग्राहक करारनामे में सम्मिलित भी होते हैं, और जिनका पालन निक्षेपागार सहभागियों [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को करना होता है, वे नीचे दिये गये हैं :

1. खाता खोले जाने के समय निवेशकों को निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों से अवगत कराया जाना चाहिये और जिनका स्पष्ट उल्लेख निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] - ग्राहक करारनामे की अनुसूची-क में होना चाहिये ।
2. निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा इसके कीमत-निर्धारण में बाद में किये गये किसी परिवर्तन की सूचना कम से कम 30 दिन पहले खाता-धारकों को दी जानी चाहिए ।

XVI. अंतर-निक्षेपागार अंतरण (इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर)

1. यदि मेरा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाता एनएसडीएल में है, तो क्या मैं भारत के किसी अन्य निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के खाता-धारक से अपनी प्रतिभूतियाँ प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तर हाँ । अंतर-निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) अंतरण संभव हैं ।

XVII. सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ

1. मेरा निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] मुझे कहता है कि मैं सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची (डी.आई.एस.) पर निष्पादन तारीख (एग्जीक्यूशन डेट) न लिखूँ । क्या ऐसा करना सही होगा ?

उत्तर नहीं । आपको निष्पादन तारीख भरे बिना सुपुर्दगी अनुदेश पर्चियाँ अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को नहीं देनी हैं । आपको सलाह दी जाती है कि आप उस तारीख का उल्लेख अवश्य करें जिस दिन अनुदेश संपन्न होना हो, अर्थात् आप सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची पर निष्पादन तारीख का उल्लेख अवश्य करें । निष्पादन तारीख वह तारीख भी हो सकती है जिस दिन अनुदेश दिया जा रहा हो, या फिर कोई बाद की तारीख भी, जैसा आप चाहें ।

2. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] ने प्रत्येक लेन-देन के बाद मेरे खाते को अद्यतन बना दिया है ?

उत्तर आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आपको समय-समय पर लेन-देन विवरण देगा, जिसके अंतर्गत आपके वर्तमान शेष का और निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) खाते के जरिये आपके द्वारा किये गये विभिन्न लेन-देनों का ब्यौरा होगा । यदि आप चाहें, तो आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आपको निर्धारित समय-अंतरालों से कम समय-अंतरालों पर, अर्थात् अधिक बार, लेन-देन विवरण दे सकता है, लेकिन इसके लिए वह आपसे शुल्क ले सकता है । लेन-देन विवरण का फॉर्म पृष्ठ सं. 43 पर संलग्नक के तौर पर दिया गया है ।

3. मुझे अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से कब-कब लेन-देन विवरण प्राप्त होगा ?

उत्तर आपको अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से तिमाही में

एक बार लेन-देन विवरण प्राप्त होगा । यदि आपने तिमाही के दौरान कोई लेन-देन किया हो, तो आपको यह विवरण लेन-देन के तीस दिन के भीतर मिलेगा ।

4. यदि मुझे समय-समय पर लेनदेन विवरण न मिले, तो मैं किससे शिकायत करूँ ?

उत्तर निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] और इसके खाता-धारक के बीच हुए करारनामे के खंड-6 के अनुसार, निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] यह वचन देता है कि वह मासिक अंतरालों पर खाता-धारक को लेनदेन विवरण देगा । यदि खाते में कोई लेनदेन ही न हुआ हो, तो निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] खाता-धारक को यह विवरण तिमाही में कम से कम एक बार देगा ।

यदि आपको लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं होते, तो आप इसकी सूचना अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] तथा एनएसडीएल को दे सकते हैं ।

5. यदि मेरे लेन-देन विवरण में कोई विसंगति हो, तो मुझे क्या करना चाहिए ?

उत्तर यदि लेन-देन विवरण में कोई विसंगति हो, तो आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से संपर्क कर सकते हैं । यदि निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के स्तर पर विसंगति दूर न हो, तो आप एनएसडीएल से संपर्क करें ।

एनएसडीएल भी, कभी-कभार किसी भी, निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के कुछेक ग्राहकों को धारिताओं (होल्डिंग्स्) का विवरण भेज देता है । यदि आपके निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] द्वारा आपके खाते में दिखाया गया शेष एनएसडीएल द्वारा भेजे गये विवरण से मेल न खाता हो, तो आप इस सिलसिले में स्पष्टीकरण के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] / एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं ।

6. लेन-देन विवरण खो जाने पर मैं क्या करूँ ?

उत्तर आपको चाहिए कि आप अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को सूचित करें और लेन-देन विवरण की दूसरी प्रति प्राप्त करें ।

7. यदि निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में मेरी धारिताओं का एकमात्र सबूत महज एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो मेरे खाते के शेष को ही दर्शाता है, तो ऐसे में मैं किस प्रकार सुरक्षित हूँ ?

उत्तर आपके खाते में कोई भी लेन-देन आपके लिखित प्राधिकरण के बिना हो ही नहीं सकता । यही नहीं, बल्कि यदि आप लंबे समय के लिए बाहर हों, तो आपके लिए यह सुविधा है कि आप अपने खाते पर रोक लगा (को फ्रीज़ कर) सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके खाते में केवल जमा की ही अनुमति होगी और कोई डेबिट संभव नहीं होगा ।

8. यदि मेरा निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] दिवालिया हो जाये या कार्य करना बंद कर दे, तो क्या होगा ?

उत्तर यदि आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] दिवालिया हो भी गया या इसने कार्य करना बंद भी कर दिया, तो ऐसे में निवेशकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जायेगी । ऐसी परिस्थिति में, निवेशक के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो अपनी प्रतिभूतियाँ नये निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के पास अंतरित (ट्रांसफर) करा ले या फिर वह प्रतिभूतियों को फिर से कागजी रूप में तब्दील करा ले ।

9. एनएसडीएल अपनी निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली में आँकड़ों (डाटा) को सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानी बरतता है ?

उत्तर एनएसडीएल की निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रणाली में आँकड़े बहुत ही महत्त्व रखते हैं । एनएसडीएल ने आँकड़ों के प्रेषण (ट्रांसमिशन) तथा भंडारण (स्टोरेज) की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं । ये आँकड़े अनधिकृत पहुँच, हेराफेरी से सुरक्षित हैं, यही नहीं बल्कि ये आँकड़े नष्ट भी नहीं हो सकते । आँकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बैकअप की निम्नलिखित पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं :

1. स्थानीय (लोकल) बैकअप
2. रिमोट बैकअप
3. संकट निवारण साइट (डिसास्टर रिकवरी साइट)

यही नहीं, बल्कि प्रत्येक निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] से यह अपेक्षित होता है कि वह रोजाना कामकाज समाप्त होने पर दैनिक बैकअप भी ले ।

10. क्या मैं अपने खाते पर रोक लगा (को फ्रीज़ कर) सकता हूँ ?

उत्तर निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का खाता-धारक (हिताधिकारी खाता [बेनीफीशियरी एकाउंट]) जब तक चाहे अपने खाते में पड़ी प्रतिभूतियों पर रोक लगा सकता है । खाते पर रोक लगाकर, खाता-धारक अपने खाते में होने वाले अप्रत्याशित डेबिट या जमा या फिर दोनों पर रोक लगा सकता है । अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को निर्धारित फॉर्म में रोक लगाये जाने का अनुदेश देकर एनएसडीएल की प्रणाली (सिस्टम) में उपलब्ध निम्नलिखित प्रकार की रोक-सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है ।

- केवल डेबिट पर रोक लगाये जाने हेतु - डीमैट खाता-धारक अपने निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] को रोक लगाये जाने का अनुदेश देकर केवल खाते से होने वाले डेबिट पर रोक लगा सकता है । हालाँकि, रोक की अवधि के दौरान, खाता-धारक के खाते में जमाएँ प्राप्त होती रहेंगी, जैसे बोनस या कंपनी की किसी अन्य कार्रवाई की वजह से आने वाली कोई जमाएँ ।
- डेबिट और जमा पर रोक लगाये जाने हेतु - खाता-धारक डेबिट और जमा दोनों के लिए खाते पर रोक लगा सकेगा । इस प्रकार खाते में तब तक कोई डेबिट और जमा नहीं होंगे, जब तक कि खाता-धारक इस रोक को हटाये जाने का अनुदेश न दे दे । यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए लाभकारी है जो अपने खाते का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते । इस प्रकार, वे अपने खाते में होने वाले डेबिट और जमा दोनों पर रोक लगा सकते हैं ।
- खाते में किसी विशिष्ट आई.एस.आई.एन. पर रोक लगाये जाने हेतु - खाता-धारक पूरे खाते पर रोक लगाये बिना, किसी विशिष्ट आई.एस.आई.एन. (किसी विशिष्ट कंपनी की प्रतिभूति) पर ही रोक लगा सकता है, ताकि इसका खाते से कोई डेबिट न हो । यदि इस प्रकार की सुविधा का प्रयोग किया जाता है, तो खाते में दूसरी सभी प्रतिभूतियों के सिलसिले में डेबिट या जमा होता रहेगा, लेकिन किसी विशिष्ट आई.एस.आई.एन. की प्रतिभूतियों के सिलसिले में कोई डेबिट नहीं होगा । इस प्रकार, ग्राहक अपने डीमैट खाते में पड़ी दूसरी प्रतिभूतियों का प्रयोग करता रहेगा और जिस आई.एस.आई.एन. के सिलसिले में डेबिट हेतु रोक लगा दी गयी है उसके अंतर्गत जमाएँ भी प्राप्त करता रहेगा ।

- खाते में किसी आई.एस.आई.एन. के अंतर्गत चुनिंदा प्रतिभूतियों पर रोक लगाये जाने हेतु - खाता-धारक खाते में किसी विशिष्ट प्रतिभूति की किसी विशिष्ट मात्रा पर रोक लगा सकेगा ।

11. यदि मेरा निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] मेरी समस्या का समाधान करने में असमर्थ हो, मैं क्या करूँ ?

उत्तर यदि आपका निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] आपकी शिकायत को दूर करने में असमर्थ हो, तो आप निम्नलिखित पते पर एनएसडीएल के निवेशक शिकायत कक्ष को लिख सकते हैं :

प्रभारी अधिकारी
निवेशक शिकायत कक्ष,
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
पाँचवीं मंज़िल, ट्रेड वर्ल्ड,
कमला मिल्स कम्पाउंड,
सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल,
मुंबई - 400 013
ई-मेल : relations@nsdl.co.in

आप हमारे वेबसाइट www.nsdl.co.in पर निवेशक शिकायत फॉर्म के जरिये एनएसडीएल के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।

===xxx===

बैंक संबंधी ब्यौरों में परिवर्तन की सूचना

तारीख : _____/_____ /_____

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का पता

ग्राहक (क्लाइंट) का ब्यौरा

सेवा में, _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	ग्राहक की पहचान सं.(आईडी): _____ निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की पहचान सं.: _____ नाम (पहला) : _____ (दूसरा) : _____ (तीसरा) : _____

प्रिय महोदय,

कृपया आप अपने रिकार्ड में मेरे / हमारे बैंक खाते के ब्यौरों में परिवर्तन कर लें, जैसा नीचे दिया गया है :

वर्तमान बैंक के ब्यौरे	नये बैंक के ब्यौरे
बैंक खाता सं.: बैंक खाते का प्रकार: एमआईसीआर सं.: बैंक का नाम: बैंक का पता: बिल्डिंग: मार्ग : इलाका: शहर का नाम: पिन कोड सं.:	बैंक खाता सं.: बैंक खाते का प्रकार: एमआईसीआर सं.: बैंक का नाम: बैंक का पता: बिल्डिंग: मार्ग : इलाका: शहर का नाम: पिन कोड सं.:

धन्यवाद,

भवदीय,

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

निम्नलिखित के हस्ताक्षर

एकमात्र / पहला धारक :	दूसरा धारक	तीसरा धारक :

(नये बैंक के खाते के रद्द किये गये चेक की प्रति संलग्न है)

पावती

ग्राहक (जिसकी पहचान संख्या (आईडी) : _____ है) के बैंक के ब्यौरों में परिवर्तन को दर्ज किये जाने हेतु आपका तारीख ___/ ____/____ का अनुरोध प्राप्त किया ।

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के हस्ताक्षरकर्ता का नाम

हस्ताक्षर	(निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की मुहर एवं तारीख)

पते में परिवर्तन की सूचना

तारीख : _____/_____ /_____

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का पता	ग्राहक (क्लाइंट) का ब्यौरा
सेवा में, _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	ग्राहक की पहचान सं.(आईडी): _____ निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की पहचान सं.: _____ नाम (पहला) : _____ (दूसरा) : _____ (तीसरा) : _____

प्रिय महोदय,

कृपया आप अपने रिकार्ड में मेरा / हमारा पता बदल लें, जैसा नीचे दिया गया है :

वर्तमान पते के ब्यौरे	नये पते के ब्यौरे
_____ _____ _____ _____ _____ शहर : _____ पिन कोड : ☐☐☐☐☐☐	_____ _____ _____ _____ _____ शहर : _____ पिन कोड : ☐☐☐☐☐☐

धन्यवाद,

भवदीय,

निम्नलिखित के हस्ताक्षर

एकमात्र / पहला धारक :	दूसरा धारक	तीसरा धारक :
(नये पते का सबूत संलग्न है)		

पावती

ग्राहक (जिसकी पहचान संख्या (आईडी) : _____ है) के पते में परिवर्तन को दर्ज किये जाने हेतु आपका तारीख ___/ ____/____ का अनुरोध प्राप्त किया ।

_____

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] के हस्ताक्षरकर्ता का नाम

हस्ताक्षर	(निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की मुहर एवं तारीख)

नामांकन हेतु / नामांकन रद्द करने हेतु फॉर्म

(एकल रूप से या संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाना है)

मैं / हम _____ तथा _____ हिताधिकारी स्वामी (बेनीफीशियरी ओनर) खाते के धारक हैं और ग्राहक पहचान सं. _____ है, यह खाता एनएसडीएल के निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] मेसर्स _____ (जिसकी पहचान सं. _____ है) के पास है, * नामांकन करना चाहता हूँ/चाहते हैं / *तारीख _____ के नामांकन को रद्द करना चाहता हूँ/चाहते हैं* और एतद्द्वारा * निम्नलिखित व्यक्ति का, जिसके पास मेरी/हमारी मृत्यु हो जाने की दशा में अंतरण और / या उक्त हिताधिकारी स्वामी खाते में मेरे / हमारे द्वारा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में रखी प्रतिभूतियों के लिए देय रकम के सभी अधिकार निहित होंगे, नामांकन करना चाहता हूँ/चाहते हैं / _____ *को मेरे / हमारे द्वारा किये गये नामांकन को रद्द करना चाहता हूँ/चाहते हैं* और परिणामस्वरूप उक्त खाते में मेरे/हमारे द्वारा रखी प्रतिभूतियों में हिताधिकारी स्वामित्व के विषय में सभी अधिकार तथा दायित्व मेरे/हमारे पास रहेंगे।*

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

नामिती की फोटो

नामिती का नाम और पता

नाम : .....

पता : .....

.....

जन्म-तिथि* : .....

(यदि नामिती अवयस्क-व्यक्ति हो, तो दी जाये)

नामिती के हस्ताक्षर : .....

** नामिती अवयस्क-व्यक्ति है जिसके संरक्षक हैं : .....

संरक्षक का पता : .....

.....

संरक्षक के हस्ताक्षर :.....
(संरक्षक के मामले में उसकी फोटो लगायें) (यदि लागू न हो तो काट दें)

हिताधिकारी स्वामी (बेनीफीशियरी ओनर)

1) हस्ताक्षर : .....
नाम : .....
पता : .....
तारीख : .....

2) हस्ताक्षर : .....
नाम : .....
पता : .....
तारीख : .....

<u>दो गवाहों के हस्ताक्षर</u>

नाम और पता हस्ताक्षर (तारीख सहित)

1.

2.

अनुदेश :

1. केवल ऐसे व्यक्ति ही अपनी ओर से नामांकन कर सकते हैं, जिनके या तो एकल रूप में या फिर संयुक्त रूप में हिताधिकारी स्वामी खाते (बेनीफिशियरी ओनर एकाउंट) हों । व्यक्तिगत हैसियत से इतर व्यक्ति (जिनमें सोसाइटी, न्यास (ट्रस्ट), कंपनी निकाय (बॉडी कार्पोरेट), भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुंब

का कर्ता, मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटर्नी) का धारक शामिल हैं) नामांकन नहीं कर सकते । संयुक्त खाते के मामले में, खाते के सभी संयुक्त-धारकों को नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

2. अवयस्क-व्यक्ति को भी नामित किया जा सकता है । ऐसा करने के लिए, हिताधिकारी स्वामी (बेनीफीशियरी ओनर) को अवयस्क नामिती के संरक्षक का नाम और पता देना होगा ।

3. न्यास, सोसाइटी, कंपनी निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कर्ता या मुख्तारनामा-धारक (पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर) नामिती नहीं हो सकते हैं । अनिवासी भारतीय नामिती हो सकता है, लेकिन समय-समय पर लागू विनिमय नियंत्रण विनियमों (एक्सचेंज कन्ट्रोल रेगुलेशन्स्) के अनुसार ।

4. हिताधिकारी स्वामी खाते के बंद हो जाने पर हिताधिकारी स्वामी खाते के लिए किया गया नामांकन भी रद्द हो जाता है । ठीक इसी प्रकार, प्रतिभूतियों का अंतरण (ट्रांसफर) हो जाने पर प्रतिभूतियों के विषय में किया गया नामांकन भी समाप्त हो जायेगा ।

5. कानूनी वारिस के बजाय नामिती (नॉमिनी) के पक्ष में प्रतिभूतियों का अंतरण निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) द्वारा वैध उन्मोचन (वैलिड डिस्चार्ज) होगा ।

6. केवल ऐसे व्यक्ति ही अपनी ओर से नामांकन को रद्द कर सकते हैं, जिनके या तो एकल रूप में या फिर संयुक्त रूप में हिताधिकारी स्वामी खाते (बेनीफिशियरी ओनर एकाउंट) हों, और वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने पिछली बार नामांकन किया हो । व्यक्तिगत हैसियत से इतर व्यक्ति (जिनमें सोसाइटी, न्यास (ट्रस्ट), कंपनी निकाय (बॉडी कार्पोरेट), भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कर्ता, मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटर्नी) का धारक शामिल हैं) नामांकन को रद्द नहीं कर सकते । हिताधिकारी स्वामी के संयुक्त खाते के मामले में, खाते के सभी संयुक्त-धारकों को नामांकन रद्द किये जाने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

7. नामांकन के रद्द हो जाने पर, नामांकन निरस्त हो जायेगा, और निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) पर नामिती के पक्ष में प्रतिभूतियों को अंतरित (ट्रांसफर) करने का कोई दायित्व नहीं रहेगा ।

लेन-देन विवरण

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का नाम

{ निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की पहचान सं.(आईडी) : }

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] का पता

तारीख :			

लेन-देन	*इस तारीख से :*	*इस तारीख तक :*

ग्राहक की पहचान सं.		श्रेणी		स्थिति	
धारकों का (के) नाम					
पता					
पिन कोड					

आई.एस.आई.एन.		प्रतिभूति का नाम	

लेन-देन का प्रकार

तारीख	लेन-देन सं.	विवरण	जमा	डेबिट	शेष
xxxxxxxx		प्रारंभिक जमा			xxxxxxxx
xxxxxxxx		अंतिम शेष			xxxxxxxx

निक्षेपागार सहभागी [डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट] की मुहर व आद्यक्षर

एनएसडीएल कार्यालय

प्रधान कार्यालय :

मुंबई

चौथी एवं पाँचवीं मंज़िल,
ए - विंग, ट्रेड वर्ल्ड,
कमला मिल्स कम्पाउंड,
सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल,
मुंबई - 400 013
फोन : (022) 24994200 (60 लाइनें)
फैक्स : (022) 24972993 / 24976351.
ई-मेल : info@nsdl.co.in

शाखा कार्यालय :

चेन्नई

केन्सेस टॉवर्स,
6 ए, छठी मंज़िल,
#1 रामकृष्ण स्ट्रीट,
नॉर्थ उस्मान रोड, टी. नगर,
चेन्नई - 600 017
फोन : (044) 28143917 / 18
फैक्स : (044) 28144593
ई-मेल : bandams@nsdl.co.in

कोलकाता

दि मिलेनियम, पाँचवीं मंज़िल,
फ्लैट नं. 5 डब्ल्यू, 235/2 ए,
आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड
(ए जे सी बोस रोड),
कोलकाता - 700 020
फोन : (033) 22814661 / 22814662
फैक्स : (033) 22873706
ई-मेल : supratimm@nsdl.co.in

नई दिल्ली

409 / 410, अशोक एस्टेट बिल्डिंग,
चौथी मंज़िल, बाराखंबा रोड,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110 001
फोन : (011) 23353815 / 23353817
फैक्स : (011) 23353756
ई-मेल : sameerg@nsdl.co.in